रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 1972/श्रावण 5, 1894
No. 173] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 1972/SRAVANA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th July 1972

No. 6-VP(15)/72.—In January 1969, the Tariff Commission was requested by the Government of India, under section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951, to enquire into the cost structure of the vanaspati industry, the fair price payable to the industry and the commissions allowable to wholesalers and retailers of vanaspati. The Commission was also asked to report on related issues such as determination of the price of raw oils on the basis of objective criteria, pooling of freight for the purpose of price at the wholesale and retail stages of sale, justification for admission of advertisement and marketing expenses to the producers and rehabilitation allowance, if any, to be allowed.

2. The Commission submitted an interim Report on the 19th October, 1970 and its final Report on the 2nd March, 1971.

3. The recommendations made by the Commission have been carefully examined by the Government, and its decisions on the main recommendations are as follows:—

1. The price of raw oils may be determined on the basis of the average of the lower of the daily spot and forward quotations (for delivery during the same month) for groundnut oil*, and the spot quotations for cottonseed and sesame oils in the principal commodity markets operating in each zone, weighted by the latest-known installed capacity of the factories in each zone situated nearest to the market concerned.	Comparison of the average spot prices for groundnut oil during each fortnight and the average purchase prices of this oil, over the past few years, does not indicate any significant advantage being derived through adoption of the procedure proposed. It would be also administratively difficult to operate.
2. No specific period should be fixed or announced in advance for revision of the selling prices of vanaspati– prices once notified remaining in force "until further orders". The gap between price revisions should be elongated as much as possible through averaging out of day-to-day fluctuations or neutralising them through adjustments in the level of admixture of cheaper oils.	This is in line with the procedure already being followed by Government in this regard.
3. The price formula should operate on a zonal basis not only for oil costs as at present but also in respect of conversion costs, depreciation and return as well.	Accepted.
4. While fixation of prices entirely on an ex-factory basis is best suited to ensure equitable distribution to all parts of the country, this solution suffers from certain practical difficulties. Hence the following pattern is recommended:—	The recommendation providing for freight in the case of the product sold in Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, hilly areas of Uttar Pradesh, Assam region etc. at actuals is accepted. But a differential freight between metropolitan cities and the rest of the zone is likely to result in diversion of supplies ordinarily consumed in the former to other areas leading to artificial scarcities in the metropolitan cities. Hence the existing system of a pooled freight for the zone as a whole (other than distant areas like J&K. etc.) may continue with advantage. The freight element for the different zones has been accordingly re-worked out on this basis as under:—

	Freight element to be provided : (Rs./tonne)
(a) For product sold in Delhi, Madras, Calcutta and Bombay.	15
(b) For product sold in Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Assam region and Andaman & Nicobar Islands	At actuals
(c) For product sold elsewhere than in (a) and (b)	

			(Rs./tonnes)
North zone	29	North zone	26
South zone	86	South zone	75
East zone	49	East zone	43
West zone	72	West zone	61

5. The wholesale margin may be fixed at Rs. 75 per tonne and the retail margin at Rs. 100 per tonne.	The revised wholesale and retail margins proposed by the Commission are accepted, subject to the reservation regarding the retail margin in respect of product sold in loose form indicated against recommendation 12 (iii).

*trading in N.T.S.D. contracts in groundnut oil has since been suspended.

6. There is no justification for any margin being allowed in the price structure of 2 kg. and 4 kg. packs on account of advertising which, under present circumstances, appears redundant and essentially forms an instrument of brand promotion. However, a provision of Rs. 5 per tonne may be made in the case of the newly-introduced 1 kg. pack.	The recommendation for disallowance of advertisement expenses in respect of 2 kg. and 4 kg. packs is accepted. But this should apply equally to 1 kg. packs as well, as this pack has now gained wide acceptance and does not warrant special treatment.
7. No convincing case has been made out by the industry for rehabilitation allowance at the present juncture.	Noted.
8. An additional processing margin of Rs. 44 per tonne may be allowed in the case of cotton seed oil and of Rs. 87 per tonne in the case of soybean oil over the amount provided for in the price formula for standard vanaspati made from groundnut and sesame oils.	This recommendation is stated to be based, not on factual data on additional costs actually incurred by the factories on this account, but merely on hypothetical considerations. There is, therefore, no sufficient justification to disturb the existing allowance of Rs. 60 per tonne in the case of soybean oil. As regards cottonseed oil, as usage of this oil at levels higher than the compulsory minimum of 10% qualifies for excise rebate of Rs. 200–250 per tonne, no additional processing margin is considered necessary at the higher level However, for the first 10% of compulsory usage, which does not qualify for excise rebate, an allowance of Rs. 40 per tonne has been already provided in the existing price structure, which is more or less in line with the Commissions recommendation in this regard.
9. There is no justification for making a general provision for research and development in the price structure of vanaspati as most of the producers incur no expenditure at all on this account. Besides, the process of manufacture of vanaspati is relatively simple and not a technology-intensive one.	Noted.
10. At present, excise duty on vanaspati is chargeabe at 5% *ad Valorem* while on refined oils there is a specific duty of Rs. 110·25 per tonne.* In view of the close inter-relationship between these two commodities, the duty on these products should be either specific or *ad valorem*.	The recomendation has been noted by the Ministry of Finance for consideration at the appropriate time.
*since revised to Rs. 100 per tonne)	
Freight, handling, local taxes and other incidental charges on soybean oil purchases incurred by different factories from the point of release should be pooled for each zone, and a uniform amount added to the release price of the soybean oil for supply to every unit within any particular zone. But the industry's proposal for a uniform level of incorporation of soybean oil in all the zones does not merit support.	The recommendation regarding pooling of freight incurred on soybean oil on a zonal basis is in line with the action already taken by the Government in this regard. As regards sales tax, adoption of this suggestion is likely to lead to certain practical difficulties.

12. (*i*) The cost of 16·5/15·0 kg. tin containers has been determined w.r.t. the prevailing controlled price of the requisite quantity of tinplate and the average conversion cost; and that of small packs on the purchase prices of such containers. In either case, escalation has been provided for on the basis of the formula indicated in each case, which is linked to the increase in the cost of tinplate and the quantity of tinplate required for each pack-size. While it is not the intention of the Commission that vanaspati manufacturers should be encouraged to create extra capacity for the self-manufacture of tin containers, they might be enabled to acquire control over the requisite quantity of tin plate at the regulated prices; this would facilitate their getting these fabricated from independent fabricators for use on the basis of charges including an element of return.	Noted. As regards escalation, while in the case of large packs, the formula proposed can be adopted with advantage, as far as small packs are concerned, as these are entirely purchased by the factories from commercial fabricators, it would be more realistic to relate the escalation to the prevailing purchase price of such containers. There is no statutory control on the price of tinplate; further, the distribution procedures presently in vogue do not permit of tinplate being made available to such vanaspati factories as are not licensed for fabrication of tin containers for captive use. Certain alternative proposals have been made by the industry in this regard and these are under consideration.
(*ii*) The cost of returnable G.I. drums has also been provided for at actuals, and on the basis of their being used for six trips before scrapping.	Noted.
(*iii*) In the case of product sold loose, the packing cost allowed is the same as in the case of 16·5 kg. tin containers *less* Rs. 88·50 per tonne being the re-sale value of the empty tin at Rs. 1·46 per tin.	As the end-use of the 16·5 kg. tin of vanaspati (*i.e*, whether it reaches the consumer as such or in loose form) is not known at the time the container leaves the producer, it is not practicable to adopt separate margins for the packing cost of such containers at the producers' or wholesale stages in relation to their end-use. The suggestion would, in effect, imply a reduction of the retail margin in respect of product sold loose by Rs. 88·50 per tonne *i.e.* about 9 paise per kg. This is likely to have a disrupting effect on loose sale—the vaue of the empty tin, under the existing procedure, compensating for the wastage attendant on the retailing of small quantities from a bulk container. The existing retail margin of Rs. 80 per tonne may, therefore, continue to apply in the case of product sold in loose form, instead of the increased margin of Rs. 100 per tonne allowable to product sold in tins or other containers, without any further reduction.
13. The current allowance of 1·5% of the oil cost on account of net oil loss may continue unchanged in the case of the North and West zones; for the South and East zones where the free fatty acid content is higher, the net loss may be computed at 1·8%. For hydrogenated soybean and cottonseed oils, an allowance of 1·8% and 2·7% is recommended.	The zone-wise differentials recommended in respect of net oil loss are accepted, however, there is no adequate justification for allowing special differentials for soybean and cottonseed oils, esp. since both these oils have a low f.f.a. content and besides, additional amounts have been separately provided for in respect of these oils over and above the processing margin allowed in the case of other oils.
14. The return on capital may be split into (a) a fixed amount (to cover fixed assets and working capital other than oil cost) of Rs. 35, Rs. 24, Rs. 35 and Rs. 27 per tonne in the North, South, East and West zones resp., and (b) a variable	The recommendation for splitting the return on capital into a fixed amount and a variable amount on the lines proposed is accepted. However, the quantum of the total return allowable on the two counts is being limited to 12% of the

amount to cover interest charges on the oil cost @ 1·38% of the oil cost (incl. process loss) in the North and East zones and 0·92% in the South and West zones—subject to escalation with variations in the prevailing rate of interest on bank advances to the vanaspati industry and the period of stock-holding of oils permitted to the industry under the selective credit control presently in force.

capital employed in accordance with normal practice in this regard—as against 13·8% computed by the Commission, the higher figure proposed by the Commission being partly due to the provision of 6% on reserves which, in any case, is inadmissible. At the same time, the fixed block employed per tonne of vanaspati has been suitably adjusted, in the light of the position regarding anticipated level of utilisation of capacity referred to against the recommendation at item 15 below. With these adjustments, the fixed amount allowable towards return on capital works out to Rs. 32·58, Rs. 21·31 Rs. 35·34 and Rs. 26 31 per tonne in the North, South, East and West zones resp. as against the amounts of Rs. 35, Rs. 24, Rs. 35 and Rs. 27 pertonne proposed by the Commission. The recommendation regarding escalation of the variable costs on the lines proposed will be difficult to implement, in practice, and would introduce avoidable complications in the price structure without making a significant difference to the prices one way or the other.

15. The revised cost structure for vanaspati has been worked out by the Commission after a detailed examination of the costs incurred by 19 representative factories spread over all the four zones (4, 6, 3 and 6 in the North, South, East and West zones resp.), and after making the following adjustments:—

(1) excluding abnormally high or low consumption/costs incurred by one or more of the units, and adjusting the average costs in respect of each factor comprising the processing costs thus obtained) *e.g.* caustic soda, nickel catalyst and other process chemicals, electricity coal, wages/salaries etc.) with reference to "norms" therefor deemed reasonable by the Commission—thereby reducing the total processing costs (for 16·5 kg. packs) actually incurred viz. Rs. 246·22 per tonne (average for all zones) to Rs. 209·40 per tonne.

(2) estimating future costs from the adjusted costs obtained under (1) after taking into account increases in the price of certain process chemicals, electricity rates, and higher costs of wages, stores, repairs etc. but on the basis of production of each factory for 330 days in the year at full installed capacity—thereby further reducing the processing costs to Rs. 187·30 per tonne. Currently, the amount allowed under this head is Rs. 151·91 per tonne.

The revised price structure proposed by the Commission is accepted, subject to the reservations indicated above, the exclusion of minimum bonus as an element of cost, and on the basis of the adjusted cost proposed under (1) and the increased costs of process, chemicals electricity, wages etc. taken into account in the estimates for the future under (2).

However, having regard to the number of days in the year actually worked by the industry (309 to 329 days in the different zones) and the level of utilisation of installed capacity (67·9% on the average in 1969, the utilisation in the East and West zones being as low as 47·1% and 55·9%) and also the large increase in installed capacity that has since taken place without a commensurate rise in the demand for the product, the assumption of production for 330 days in the year at full installed capacity made in these estimates may not be realistic. Hence the estimates have been revised, deleting the adjustment made by the Commission on this account.—the revised estimate of future costs so obtained averaging Rs. 737·18 per tonne.

4. There are also other recommendations of a general nature which the Commission has made—aimed *inter alia* at augmenting oil supplies to the industry, restricting further licensing of capacity, establishment of buffer stocks as a means of stabilisation of prices, increased production of cottonseed and ricebran oils and incentives for their use in vanaspati manufacture, and the development of soybean and sunflower cultivation. These have been taken note of and will be given due consideration at the appropriate time.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it should be published in the Gazette of India Extraordinary.

R. R. BAHL, Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1972

संख्या 6-वी० पी० (15)/71.— भारत सरकार ने, जनवरी 1969 में टैरिफ आयोग से अनुरोध किया था कि वह टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 12(डी) के अधीन वनस्पति उद्योग के मूल्य ढांचे, वनस्पति उद्योग को दी जाने वाली उचित कीमत, तथा थोक व फुटकर वनस्पति विक्रेताओं को मिलने वाली कमीशन के बारे में छानबीन करें । आयोग से इसके सम्बन्धित अन्यमामलों जैसे कि वस्तुनिष्ठ गुणों के आधार पर कच्चे तेलों के मूल्य निर्धारण, वनस्पति के थोक व फुटकर अवस्था में बेचने पर भाड़े को मिलाने और उत्पादों को विज्ञापन तथा विपणन खर्चों की स्वीकृति देने की औचित्यता तथा अनुपय पुन : स्थापन भत्ते यदि कोई हों, के बारे में रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है ।

2. आयोग ने अन्तरिम रिपोर्ट 19 अक्टूबर, 1970 व अपनी अन्तिम रिपोर्ट 2 मार्च, 1971 को पेश कर दी थी ।

3. सरकार ने आयोग की सिफारिशों का गहराई से अध्ययन किया है और सरकार का मुख्य सिफारिशों पर लिए गए निर्णय इस प्रकार है :—

1. कच्चे तेल की कीमत का निर्धारण, मूंगफली के तेल की दैनिक स्थानीय न्यूनतम कीमत व बायदे के कोटेशनों (माह में निकासी के लिए) का औसत निकाल कर किया जाए तथा प्रत्येक क्षेत्र की प्रमुख जिन्स मंडियों में तथा बिनौले व तिल के तेल के स्थानीय कोटेशनों व सम्बन्धित मंडी के सबसे निकट स्थित कारखानों की स्थापित क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया जाए (मूंगफली के तेल के अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी ठेकों पर अब रोक लगा दी गई है)	हर पखवाड़े में मूंगफली के तेल की स्थानीय जांच कीमत के औसत तथा तेल के औसत क्रय मूल्य के बारे में जैसा कि प्रस्तावित तरीके में सुझाया गया है, उसके तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है कि इस तरीके के अपनाने से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, फिर इसे लागू करने से प्रशासनिक कठिनाईयां भी होंगी ।
2. वनस्पति के विक्रयमूल्य के पुनरीक्षण के लिए पहले से न तो कोई विशेष समय निश्चित किया जाए न उसे घोषित किया । एक बार अधिसूचित कीमत तब तक लागू रहेगी जब तक नई अधिसूचना जारी न हो, मूल्य पुनरीक्षण के अन्तराल को बाजार के दैनिक घट बढ़ व बराबरी के औसत को सस्ते तेल के मिश्रण में तालमेल को देखते हुए अधिक से अधिक इतना फैलाया जाय जितना सम्भव हो ।	यह सिफारिश ठीक वैसी ही है जैसी कि कार्य विधि सरकार द्वारा अपनायी गई है ।

3. मूल्य निर्धारण का सूत्र वर्तमान की भांति क्षेत्रीय आधार पर न केवल तेल के मूल्यों के लिए लागू किया जाय बल्कि इसे रूपान्तरण मूल्य गिरावट व लाभ सभी पर लागू किया जाये ।

मान लिया गया है ।

4. वनस्पति के मूल्य निर्धारण के लिए पूर्णाश्वेण फैक्ट्री रेट पर के आधार पर देश के हर हिस्से में समान रूप से न्याय संगत वितरण के लिए सबसे उपयोगी पाया गया, इस हल में कुछ व्यावहारिक कठिनाईयां हैं इसलिए निम्नांकित प्रणाली सुझाई गई है ।

जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों व असम क्षेत्र आदि में उत्पादन बेचने में भाड़े के बारे में सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है कि उन्हें वही भाड़ा दिया जाय जो हैं । लेकिन महानगरों क्षेत्रों और क्षेत्र से अन्य भागों में भाड़े में अन्तर से साधारणतय महानगरों से खपत होने वाली सप्लाई क्षेत्र में अन्य भागों में जा सकती है जिससे महानगर के क्षेत्रों में उत्पादन की कृत्रिम कमी हो सकती है । हालांकि सारे क्षेत्र (जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों को छोड़कर) के लिए स्वीकृत भाड़े को मौजूदा प्रणाली बनाए रखना लाभकारी है ? तदनुसार अलग अलग क्षेत्रों के लिए भाड़े को राशि फिर से निकाली गई जो कि इस प्रकार है ।

		रुपया (यो० अन)
(ए) दिल्ली मद्रास कलकत्ता व बम्बई में वस्तु के भाड़े के बारे में————भाड़ा जो दिया जाए (रु० मो० टन)	उत्तरीक्षेत्र	26.00
	दक्षिणी क्षेत्र	75.00
	पूर्वी क्षेत्र	43.00
	पश्चिमी क्षेत्र	61.00

15

(बी) जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों व असमव अण्डमान व नीकोबार द्वीपसमूह में बेची गई वस्तु के बारे में वास्तव में जो खर्च किया जाए ।

(सी) (ए) व (बी) के अलावा अन्य जगहों में
वस्तु के भाड़े बारे में

उत्तरी क्षेत्र	–	29
दक्षिणी क्षेत्र	–	86
पूर्वी क्षेत्र]	–	49
पश्चिमी क्षेत्र]	–	72

5. थोक गुंजाइश 75 रु० प्रति मी० टन व फुटकर गुंजाइश 100 रु० प्रति मी० टन

आयोग द्वारा थोक व फुटकर के लिए प्रस्तावित संशोधित गुंजाइश को स्वीकार किया जाता है बशर्ते सिफारिश 12(iii) अन्तर्गत खुले रूप में बेची गई वस्तु के बारे में आरक्षण लागू हो ।

6. वर्तमान परिस्थितियों में 2 किलो व 4 किलो के डिब्बों के मूल्य ढांचे में विज्ञापनों के कारण को देने के पीछे कोई गुंजाईश औचित्यता नहीं है क्योंकि यह निरर्थक है और साथ ही मुख्यतः यह नये छाप को बढ़ावा देने मात्र है । किन्तु 1 किलो के नये डिब्बों के लिए 5 रु० प्रति मी० टन गुंजाइश देने की व्यवस्था की जाए ।

2 किलो व 4 किलो के डिब्बों पर विज्ञापन खर्चों को न देने की सिफारिश को मान लिया गया है जबकि 1 किलो के डिब्बों के लिए भी इसे माना जाए क्योंकि यह सर्वसाधारण में लोकप्रिय हुआ है और इस पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं करनी पड़ती है ।

7. पुनस्थपिक भत्ते के बारे में उद्योग द्वारा वर्तमान हालात में को प्रभावित करने लायक मामला सामने नहीं आया है ।

दर्ज कर लिया गया है ।

8. मूंगफली व तिल के बनाये गये तेल से मानक वनास्पति के मूल्य निर्धारण सूत्र से अतिरिक्त राशि के अलावा बिनोलों के तेल से वनस्पति बनाने के लिए 44 रु० प्रति मी० टन सोयाबीन तेल से वनस्पति बनाने के लिए 87 रु० प्रति मि० टन का अतिरिक्त क्रियायन खर्च किया जाये ।

यह सिफारिश कारखानों द्वारा वास्तव में खर्च किये गये अतिरिक्त व्यय के सत्य आंकड़ों के आधार पर न होकर प्राकालिपक प्रतिफल पर है, अतः वर्तमान में सोयाबीन के तेल पर 60 रु० प्रति मी० टन वाले चालू भत्ते का परिवर्तित करने में युक्ति-युक्ता नहीं है, जहां तक बिनौले के तेल का प्रश्न है उसके बारे में 10 प्रतिशत उसका उपयोग आवश्यक है जिस पर 200–250 प्रति मी० टन छूट दी जाती है । इससे अधिक प्रयोग करने पर वनास्पति बनाने के लिये अतिरिक्त गुंजाईश देने की आवश्यकता नहीं है किन्तु वनास्पति बनाने के लिए जो

10 प्रतिशत आवश्यक है । उस पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता है । उसके बारे में 40 प्रतिशत प्रति मी० टन भत्ता देने की व्यवस्था चालू मूल्य ढांचे में की गई है । जो कि न्यूनाधिक वैसी ही है जैसा कि आयोग ने सिफारिश की है ।

9. अधिकांश वनस्पति उद्योगों द्वारा अन्वेषण के लिये कोई भी राशि खर्च न करने के कारण इसके लिये वनस्पति के मूल्य निर्धारण के लिए कई आम अनुबन्ध बनाने की कोई युक्तियुक्तता नहीं है फिर वनस्पति बनाने का तरीका सीधा व साधारण है । और यह कठिन तकनिकी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता ।

दर्ज कर लिया गया है ।

10. इस समय वनास्पति के यथामूल्य पर 5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लिया जाता है जबकि परिष्कृत तेल पर उत्पादन शुल्क विशेष तौर से 110.25 रु० प्रति मी० टन (अब परिवर्तित कर 100 मी० टन है) है । इन दोनों वस्तुओं के आन्तरिक मिलापको देखते हुए इन दोनों वस्तुओं पर या तो खास उत्पादन शुल्क लगाया जाए या फिर यथामूल्य पर लगाया जाए ।

इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय द्वारा उचित समय पर विचार के लिये दर्ज कर लिया गया है ।

11. विभिन्न कारखानों द्वारा सोयाबीन तेल को खरीद पर आने वाले भाड़े, व्यापारिक क्षेत्रीय कर व अन्य आकस्मिक व्यय को रिलीज में समान रूप से मिलाया जाए, और हर क्षेत्र की सभी इकाइयों के लिये इसे समान राशी रिलीज कीमत में जोड़ी जाए। किन्तु उद्योग द्वारा जो यह सुझाया गया कि हर क्षेत्र में सोयाबीन तेल वनास्पति में समान रूप से मिलाया जाए यह तर्कसंगत नहीं पाया गया ।

क्षेत्रीय आधार पर सोयाबीन के तेल में भाड़े के निकालने बारे में जो सिफारिशें की गई हैं उसी तरह के कदम सरकार ने इस संदर्भ में उठा लिये है जहां तक बिक्री कर का प्रश्न है इसे अपनाने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी ।

12. (i) 16–5/15–0 कि० ग्राम के टिन का आधारमान में लगने वाले टिनप्लेट की आवश्यक मात्रा व उसके परिवर्तन व्यय को आधारमानों के मूल्य निर्धारण में ध्यान में रखा जाता है, तथा छोटे आधारमानों का निर्धारण उसी मूल्य में होता है जिसमें वे खरीदे गये हैं। इन दोनों केसों में हर केस के लिए मूल्यवृद्धि की स्थिति में सूत्र बनाया गया है जो हर आधानपात्र के लिए टिनप्लेट की कीमत, आवश्यक टिनप्लेटों की मात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। आयोग का यह विचार नहीं है कि वनस्पति निर्माताओं को धानपात्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय हालांकि वे इस स्थिति में हों कि वे आवश्यक टिनप्लेट नियत कीमत पर प्राप्त कर सकें, यह वनस्पति निर्माताओं की आधानपात्रों की आवश्यकताओं को स्वतंत्र आधानपात्र बनाने वालों से टिनप्लेट मिलने की स्थिति में बनवा भी सकते हैं। जो कि आधानपात्रों की प्राप्ति पर लगने वाले व्यय के आधार पर हों।

दर्ज कर लिया गया है। जहां तक बड़े आधारपात्रों का प्रश्न है उसे भी छोटे आधानपात्रों के सूत्र के अनुसार लाभ को देखते हुए व्यवहृत कर लिया गया है क्योंकि निर्माताओं द्वारा इन्हें बनाने वाले व्यापारिक संस्थाओं से खरीदा जाता है, इस तरह कम मूल्य पर ऐसे आधानपात्रों का निर्धारण अधिक युक्तिसंगत होगा। टिनप्लेटों पर अधिनियमित नियंत्रण भी नहीं है, फिर, टिनप्लेटों के वितरण की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके हिसाब से वनस्पति निर्माताओं के लिए यह उपलब्ध कराया जाय और न आधानपात्र निर्माताओं के लिए घी टिनप्लेट उपलब्ध कराने की ऐसी व्यवस्था है, इस बारे में उद्योग ने वैकल्पिक सुझाव सुझाये हैं जो विचारार्थ हैं।

(ii) वास्तविक लागत पर तथा उसके खुरचाई से पहले छः श्रेणियों में प्रयोग किए जाने के आधार पर लौटाये जा सकने वाले जी आई डिब्बों की लागत भी प्रदान की गई है।

दर्ज कर लिया गया है।

(iii) यदि उत्पादन खुला बेचा जाता है तथा उसकी पैकिंग लागत वही होगी जो 16.5 कि० ग्राम के टिन की होगी जिसमें से 88.50 रु० प्रति मी० टन कम कर दिया जाए जो कि 1.46 रु० प्रति मी० टन

वनस्पति के 16.5 कि० ग्राम घी के टिन के अन्तिम प्रयोग (अर्थात् चाहे यह उपभोक्ता तक उसी रूप में पहुंचे या खुल पहुंचे) उस समय नहीं जाना जा सकता जब डिब्बा उपभोक्ता से अलग होता

खाली डिब्बे का पुनः बिक्री मूल्य होगा।	है इस प्रकार के डिब्बों की उनके अन्तिम प्रयोग के सम्बन्ध में एक्स फैक्ट्री या थोक स्टोरेज पर पैकिंग लागत के लिए अलग अलग छूट देना व्यावहारिक नहीं है। सुझाव, परिणामतः 88.50 रु० प्रति मी०टन अर्थात् 9 पैसे प्रति किलो ग्राम के उत्पादन के खुले बिकने के सम्बन्ध में फुटकर छूट में कमी लायेगा। यह खुली बिक्री पर घातक प्रभाव के समान होगा—वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत खाली टिन की कीमत भारी डिब्बे में थोड़ी मात्रा में फुटकर रूप में हुई हानि की पूर्ति करती है। अतः प्रचलित छूट 80.50 रु०प्रति मी० टन की खुले रूप में उत्पादन की बिक्री के सम्बन्ध में लागू होगा जो अपेक्षाकृत बिना किसी अन्य कमी के 100 रु० प्रति मी० टन के टिन या अन्य डिब्बों में बेचने की स्वीकृति दी है।
13. उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशुद्ध तेल हानि के कारण तेल की लागत में 1.5% का वर्तमन भत्ता अपरिवर्तित रुपसे चालू रखा जाय। पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में वसीय अम्ल का अंश अधिक हो, विशुद्ध हानि की 1.8% पर गणना की जाए। हाइड्राजीनीकृत सोयाबीन तथा बिनौले के तेल के लिए 1.8% तथा 2.7% के भत्ते की सिफारिश की गई है।	विशुद्ध तेल हानि से सम्बन्ध में क्षेत्रवार विभिन्नताएं से स्वीकार कर ली गई हैं। यद्यपि सोयाबीन व बिनौले के तेल की विभिन्नताओं को विशषता देना कोई उचित नहीं है। विशेषतः जबकि दोनों तेलों की फेटी ऐसिड कम है जिसके कारण अन्य तेलों से वनस्पति बनने के परिसर की अपेक्षा इन तेलोंसे वनस्पति बनाने लिए अतिरिक्त राशि की अलग व्यवस्था की गई है।
14. पूंजी पर प्राप्त प्रतिफल को इनमें बांटा जाय— (अ) निश्चित राशि (जो तेल लागत के अतिरिक्त निश्चित सम्पत्ति तथा चालू	पूंजी पर प्राप्त प्रतिफल को अचल राशि तथा चल राशि के बीच बटवारा करना प्रस्तावित लाइनों पर स्वीकृत कर ली

पूंजी को भी शामिल करलें) उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में क्रमशः 35 रु०, 24 रु०, 35 रु०, 27 रु० तथा (ब) चल राशि जिसमें तेल लागत पर लागत का 1.38%की दर से ब्याज की लागत शामिल हो।

(प्रक्रिया हानि सहित उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्र में तथा 0.92% दक्षिणी तथा पश्चिमीक्षेत्रों में बैंक द्वारा वनस्पति उद्योग को दिए गए अग्रिम पर प्रचलित ब्याज दर के कारण तथा प्रचलित नियुक्त उधार नियंत्रण के आधीन उद्योग को स्टाक होल्डिंग के स्वीकृत समय के कारण)

गई है। फिर भी कम प्रतिफल की प्रमात्रा जो इन दो पर स्वीकृत है को इस सम्बन्ध में साधारण कार्य प्रणाली के अनुसार लगी हुई पूंजी के 12% आयोग के द्वारा संगठित 13.8% के स्थान पर के बराबर सीमा बद्ध किया गया है। आयोग द्वारा प्रस्तावित ऊंची रकमें अंशत : 5% आरक्षित रखने के सुझाव के कारण थी वे किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं की जा सकतीं। साथ ही प्रति मी० टन वनस्पति में लगा निश्चत खंड के उपयुक्त रूप से सम्बन्धित हो गया है। यह प्रयुक्त क्षमता के प्रत्याशित स्तर की स्थिति के सम्बन्ध में होगा जो मद नं० 15 की सिफारिश के विपरीत के सन्दर्भ में है। इन समजनों मे पूंजी के प्रतिफल पर स्वीकृत उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में क्रमशः 32.58 रु०, 21.31 रु०, 35.34 रु० तथा 26.31 रु० प्रति मी० टन निश्चित राशि हो गई है जो आयोग द्वार प्रस्तावित 35 रु०, 24 रु०, 35 रु०, 27 रु० प्रति मी० टन के विरुद्ध थे। प्रस्तावित लाइनों पर चल लागतों की पहुंच विषय में की गई सिफारिशों को प्रयोग में लाना कठिन होगा। तथा कीमत ढांचे में बिना कोई महत्वपूर्ण अन्तर लाये, कीमत ढांचे में निवारणीय कथायें प्रचलित हो जायेंगी।

15. वनास्पति कीमतों का संशोधित ढांचा (उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी चारों क्षेत्रों

आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधित कीमत ढांचा स्वीकार कर लिया गया है।

में क्रमशः 4,6, 3 और 6 में फंसी हुई 19 प्रतिनिधि कारखानों द्वारा आई लागत के विस्तृत परीक्षण के पश्चात् आयोग द्वारा कार्यान्वित कर लिया गया है। तथा निम्नअंकित समजन करने के पश्चात्:—

एक या अधिक इकाइयों की असाधारण रूप से ऊंची या नीची उपभोग लागतों को* समजन करना इस प्रकार प्राप्त प्रक्रिया लागतों को समाविष्ट करना (वाहक सोडा, निकल कैटालिस्ट तथा अन्य प्रक्रिया रसायनिक विद्युत, कोयला, मजदूरी वेतन इत्यादि) जिनका सन्दर्भ 'साधारण' से है अतः आयोग की उपयुक्त जावों—इस प्रकार कुल प्रक्रिया लागत (16.5 के पैकेज के लिए 246–22 रु० प्रति मी० टन जो वास्तव में आधा है को 209–40 रु० प्रति मी० टन तक कम करना, 2(1) के अन्तर्गत से प्राप्त करना समाजित लागत में से भविष्य की लागतों का अनुमान लगाना, जिसमें विभिन्न प्रक्रिया रसायनों, विद्युत दर तथा मजदूरी की ऊंची लागतें, स्टोर क्षतिपूर्ति इत्यादि के मूल्य वृद्धि का भी ध्यान रखा जाए, लेकिन प्रत्येक कारखाने की पूरी स्थापित क्षमता पर 330 दिन के उत्पादन के आधार पर भविष्य लागत को अनुमान लगाना:—फलस्वरुप प्रक्रिया लागतों को पुनः कम करके 187–30 रु० प्रति मी० टन करना इस शीर्षक में स्वीकृत वर्तमान समय में 151–91 प्रति मी० टन है।

उपरोक्त आरक्षणों के कारण तथा न्यूनतम बोनस जो लागत का एक तत्व है को निकालने के कारण तथा प्रस्तावित लागत के आधार पर (1) के अन्तर्गत तथा रसायनिक प्रक्रिया, विद्युत, मजदूरी इत्यादि की लागतों में वृद्धि को (2) के अधीन भविष्य के अनुमान के लिए ध्यान में रखना, फिर भी उद्योग द्वारा कार्य किए गए दिनों की संख्या को जो विभिन्न क्षेत्रों में (309 से 329 दिन तक) तथा स्थापित क्षमता के प्रयोग के स्तर को जो 1969 में औसत 67.9 तथा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में यह उपयोगिता कम होकर 47% तथा 55.9 के बराबर है, उत्पादन की मांग में बिना किसी प्रकार की वृद्धि के स्थापित क्षमता में तब से हुई तेज वृद्धि को भी ध्यान में रखते हुए इन अनुमानों में पूरी स्थापित क्षमता पर वर्ष में 330 दिन उत्पादन करना अवास्तविक प्रतीत होता है। अतः इस सम्बन्ध में आयोग के अनुसार लिए गए समजन को छोड़ते हुए इस अनुमानों में संशोधन किया गया है इस प्रकार संशोधित अनुमानित भविष्य की लागत औसतन 237–18 रु० प्रति मी० टन होगी।

4. आयोग ने सामान्य प्रकार की और भी सिफारिशें की है जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ उद्योग के लिए तेल की सप्लाई बढ़ाना, क्षमता की बढ़ोतरी के लिए लाइसेंस देने में कमी लाने,

मूल्य में स्थिरता लाने के लिए बफर स्टाक तैयार करना, बिनौले व राइसब्रान तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा सोयाबीन व सूरजमुखी की खेती के विकास को प्रोत्साहन देना है। इनको देख लिया गया है और इन पर उपयुक्त समय पर उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

*निकालना तथा प्रत्येक तत्व के सम्बन्ध में औसत लागत का।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां सम्बन्ध उद्योग व व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रेषित की जाए और इसे सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

र० र० बहल, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972